



Neutral Citation No. - 2026:AHC:125872

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक अपील संख्या - 117/2026

आसिफ उर्फ पड़्डा

.....अपीलार्थी/याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी के अधिवक्ता : नरेन्द्र कुमार सिंह

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति श्री मदन पाल सिंह

1. सूची पुनरीक्षित की गई। नोटिस तामील होने के बावजूद विपक्षी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र कुमार सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. प्रस्तुत आपराधिक अपील अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14-ए(2) के अंतर्गत अपीलार्थी की ओर से इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 2/विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.) एकट, फरुखाबाद द्वारा जमानती आवेदन संख्या 807/2025 में पारित दिनांक 01.08.2025 के आक्षेपित जमानत निरस्तीकरण आदेश को निरस्त किया जाए, जो मुकदमा अपराध संख्या 43 सन् 2025, थाना मौदारवाजा, जनपद फरुखाबाद में पंजीकृत बी.एन.एस. की धारा 333, 115(2), 352, 351(3), 125, 103 तथा एस.सी./एस.टी. एकट की धारा 3(2)(वी) के अंतर्गत उत्पन्न हुआ है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया था।

4. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट सूचनाकर्ता द्वारा इस आरोप के साथ दर्ज कराई गई है कि दिनांक 07.02.2025 को लगभग शाम 6:00 बजे, उसका भाई, रजत, जब्बर के घर के निकट खड़ा था कि अभियुक्त, आसिफ उर्फ पड़्डा तथा सह-अभियुक्त लक्का, वहां आए तथा शराब पीने हेतु उससे धन की मांग की। रजत के इंकार करने पर, दोनों अभियुक्तगण ने कथित रूप से उसे गाली-गलौज करना प्रारंभ कर दिया। जब रजत ने उनके आचरण पर आपत्ति की, तो अभियुक्तगण ने कथित रूप से उसे डंडे से मारपीट की। यह भी अभिकथित है कि रजत किसी प्रकार हमलावरों से बचकर भागने में सफल रहा तथा अपने घर की ओर भागा। तथापि, अभियुक्तगण ने कथित रूप से उस पर पत्थर एवं ईंटें फेंककर हमला जारी रखा, जिसके परिणामस्वरूप उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दिनांक 08.02.2025 को, दोनों अभियुक्तगण ने कथित रूप से सूचनाकर्ता के घर में अतिचार किया। यद्यपि सूचनाकर्ता ने उक्त घटना के संबंध में शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, अभियुक्तगण ने कथित रूप से उसकी जान को खतरे की धमकी दी, जिससे वह तत्काल विधिक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कार्रवाई करने से विरत हो गया। यह भी अभिकथित है कि उपरोक्त घटना में लगी चोटों के कारण, रजत की दिनांक 10.02.2025 को मृत्यु हो गई। तत्पश्चात, मृतक का शव विच्छेदन स्थानीय पुलिस द्वारा दिनांक 11.02.2025 को कराया गया।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी निर्दोष है तथा उसे प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी को कथित अपराध से जोड़ने वाला न तो कोई प्रत्यक्ष और न ही कोई अप्रत्यक्ष साक्ष्य है। यह भी निवेदन किया गया है कि घटना दिनांक 07.02.2025 को घटित होना अभिकथित है, जबकि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 13.02.2025 को, अर्थात् छह दिन के विलंब से दर्ज कराई गई। ऐसे विलंब का कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि, घटना की तिथि पर, मृतक शराब के नशे में था, जैसा कि शव विच्छेदन रिपोर्ट से स्पष्ट है। यह निवेदन किया गया है कि मृतक को लगी चोट किसी अन्य कारण से हुई हो सकती है, तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में अस्पष्टीकृत विलंब अभियोजन पक्ष के मामले पर गंभीर संदेह उत्पन्न करता है। यह भी निवेदन किया गया है कि सूचनाकर्ता कथित घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। अभियोजन पक्ष केवल एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, अर्थात् मृतक की भाभी, पर निर्भर करता है, जिसका कथन केवल सूचनाकर्ता द्वारा बताए गए तथ्यों को दोहराता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह निवेदन किया है कि पंचायतनामा तैयार किए जाने के समय सूचनाकर्ता उपस्थित था, फिर भी उस स्तर पर अपीलार्थी अथवा सह-अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया। शव विच्छेदन रिपोर्ट की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया गया है, जिसमें मृत्यु का कारण अत्यधिक मदिरापान को बताया गया है। अंत में, यह निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी का 6 मामलों का पूर्ववर्ती आपराधिक इतिहास है जिसे शपथपत्र के पैरा 15 में स्पष्ट किया गया है तथा आवेदक दिनांक 18.04.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना का घोर विरोध किया है तथा यह निवेदन किया है कि अपीलार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। मृतक के साथ मारपीट करने का विशिष्ट आरोप अपीलार्थी तथा सह-अभियुक्त को सौंपा गया है परन्तु उन्होंने निष्पक्षतापूर्वक यह स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलंब के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा साक्षी के कथन में कोई कारण नहीं दिया गया है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्पर्धी निवेदनों पर विचार करने तथा अभिलेख के अवलोकन के उपरांत, यह न्यायालय यह पाता है कि कथित घटना दिनांक 07.02.2025 को घटित होना बताया गया है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 13.02.2025 को, अर्थात् लगभग छह दिन के विलंब से दर्ज कराई गई। ऐसे विलंब का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि अपीलार्थी तथा सह-अभियुक्त पर मृतक को लाठी एवं डंडे से मारपीट करने का आरोप है। तथापि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मृतक के शरीर पर केवल एक चोट होना दर्शाती है। पंचायतनामा भी यह दर्शाता है कि इसके तैयार किए जाने के समय सूचनाकर्ता उपस्थित था। इसके अतिरिक्त, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह अंकित है कि मृतक के परीक्षण के दौरान मदिरा की गंध पाई गई।

8. इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, साक्ष्य की प्रकृति तथा साक्ष्य से छेड़छाड़ की संभावना दर्शाने वाली किसी भी विश्वसनीय सामग्री के अभाव को देखते हुए, यह न्यायालय इस मत का है कि अपीलार्थी को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

9. तदनुसार, अपील स्वीकार होती है और स्वीकार की जाती है। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 2/विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.) एक्ट, फर्रुखाबाद द्वारा जमानत आवेदन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या 807 / 2025 में पारित दिनांक 01.08.2025 का आक्षेपित आदेश एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

10. अपीलार्थी-आसिफ उर्फ पड़्डा को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 1,00,000/- रुपये (एक लाख) के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो-दो प्रतिभुओं के प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) अपीलार्थी अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा पीड़ित/परिवादी को किसी भी प्रकार से हानि अथवा उत्पीड़ित नहीं करेगा।

(ii) अपीलार्थी न्यायालय के आदेशों का पालन करेगा, प्रत्येक तिथि पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा तथा विचारण के निस्तारण में किसी भी प्रकार से विलंब नहीं करेगा।

(iii) अपीलार्थी यह वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि जिस तिथि पर साक्ष्य हेतु साक्षीगण न्यायालय में उपस्थित हों, उस तिथि पर वह कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माने तथा विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(iv) अपीलार्थी जमानत की स्वतंत्रता का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं करेगा। यदि, अपीलार्थी विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु धारा 84 बी.एन.एस.एस./82 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि अपीलार्थी ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विफल रहता है, तो, विचारण न्यायालय धारा 209 बी.एन.एस./174-ए आई.पी.सी. के अंतर्गत विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(v) अपीलार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष (1) विचारण के प्रारम्भ , (2) आरोप विरचित किए जाने तथा (3) धारा 251 बी.एन.एस.एस./313 सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत बयान अंकित किए जाने की तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में अपीलार्थी की अनुपस्थिति जानबूझकर अथवा पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह ऐसे व्यतिक्रम को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माने तथा विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करे और विचारण न्यायालय धारा 269 बी.एन.एस./229-ए आई.पी.सी. के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

(vi) विचारण न्यायालय अपीलार्थी की रिहाई के पश्चात विचारण को शीघ्रता से निष्कर्ष तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेगा।

11. प्रतिभुओं की पहचान, स्थिति एवं आवासीय प्रमाण की जांच संबंधित न्यायालय द्वारा की जाएगी तथा उपरोक्त वर्णित किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने तथा अपीलार्थी को कारागार भेजने हेतु स्वतंत्र होगा।

5 जून, 2026

अजीत

(न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।